

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 192]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 अप्रैल 2014—वैशाख 10, शक 1936

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

पी.ए.एच.यू.एन.टी.-2014

मध्यप्रदेश प्री आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग (म. प्र. पाहुन्ट)

स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम, 2014

भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2014

क्र. एफ-1-4-2014-1-59.—मध्यप्रदेश चिकित्सीय शिक्षा संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, 1973 की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, अर्थात् मध्यप्रदेश राज्य के शासकीय (स्वशासी)/निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी महाविद्यालयों एवं निजी क्षेत्र के प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है:—

1. **शीर्षक.**—ये नियम मध्यप्रदेश “प्री आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग परीक्षा (म. प्र. पाहुन्ट) स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम, 2014” कहलायेंगे. ये नियम “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषायें.**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,—

2.1 “मण्डल” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल; (एमपीपीईबी/व्यापम).

2.2 “महाविद्यालय” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन के अधीन आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय.

2.3 “परीक्षा” से अभिप्रेत है, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल; (एमपीपीईबी/व्यापम) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा;

- 2.4 "राज्य शासन" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन;
- 2.5 "प्रवर्ग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), अनुसूचित जाति (अ.जा.), अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव), तथा अनारक्षित (अना.) प्रवर्ग;
- 2.6 "संवर्ग" से अभिप्रेत है, सैनिक संवर्ग (एमपी) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (एफ.एफ.) महिला (एफ) और बिना संवर्ग (एक्स) जैसा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित किया गया है. विकलांग (पीएच) से अभिप्रेत है जैसा कि भारत शासन श्रम मंत्रालय, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र द्वारा विनिर्दिष्ट एवं निर्धारित किया गया है;
- 2.7 "नियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश प्री आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम, 2014.
- 2.8 "सी.सी.आई.एम." से अभिप्रेत है, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्.
- 2.9 "सी.सी.एच." से अभिप्रेत है, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्.

3. सामान्य.—(एक) स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम बीएएमएस (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी), बीएचएमएस (बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी), बीयूएमएस (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी), बीएनवायएस (बैचलर ऑफ नैचुरोपैथी एवं यौगिक साईन्स), सीसीआईएम (भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्)/सीसीएच (केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्)/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की स्वशासी समिति/राज्य शासन/भारत सरकार तथा प्रवेश परीक्षा व आवंटन प्रवेश के समय प्रभावशील नियमों-विनियमों तथा समय-समय पर इनमें किये गये संशोधनों के अधीन शासित एवं विनियमित होंगे.

(दो) ये नियम निम्नलिखित पाठ्यक्रमों एवं महाविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा आवंटन एवं प्रवेश के लिये सभी अभ्यर्थियों पर लागू होंगे. (सूची संलग्न तालिका-1)

1. शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल, बुरहानपुर, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, रीवा एवं उज्जैन में बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम.
 2. शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल में बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम.
 3. शासकीय (स्वशासी) यूनानी महाविद्यालय, भोपाल में बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम.
 4. मध्यप्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के आयुर्वेद महाविद्यालयों में बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम.
 5. मध्यप्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के होम्योपैथी महाविद्यालयों में बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम.
 6. मध्यप्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के यूनानी महाविद्यालयों में बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम.
 7. मध्यप्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र के प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम.
- 3.1(1) आवेदन-पत्र में प्रविष्टि करने के पूर्व अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियम पुस्तिका को भली भांति पढ़कर एवं समझकर संपूर्ण सही एवं वांछित जानकारी की प्रविष्टि करें तथा वांछित अभिलेख संलग्न करें, अन्यथा आवेदक प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा प्रवेश का अधिकारी नहीं होगा.
- (2) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र के साथ जो कलर फोटो संलग्न किये गये हैं वही फोटो स्कूटनी स्थल एवं आवंटित संस्था में प्रवेश के समय लेकर उपस्थित हों.

- (3) अभ्यर्थी के कलर फोटो में नाम एवं दिनांक अग्रभाग के निचले हिस्से पर अंकित होना अनिवार्य है. अभ्यर्थी का चेहरा एवं दोनों कान स्पष्ट दिखने चाहिए तथा ठोढ़ी (चिन) सीधी होना चाहिये. फोटो का आकार 3.5 सेंटीमीटर (चौड़ाई) एवं लम्बाई 4.5 सेंटीमीटर होना आवश्यक है तथा इन फोटो की पर्याप्त प्रतियां (लगभग 20) समय-समय पर प्रस्तुत करने हेतु तैयार रखें.
 - (4) फोटो, आवेदन करने की नियत तिथि से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए.
 - (5) फोटो में भिन्नता पाई जाने की स्थिति में अभ्यर्थी सीट आवंटन तथा प्रवेश का हकदार नहीं होगा.
 - (6) अभ्यर्थी द्वारा स्कूटनी व प्रवेश के समय मांगी गई जानकारी सही-सही दी जाएगी. प्रवेश परीक्षा, स्कूटनी तथा प्रवेश के समय आवंटित महाविद्यालय में अभ्यर्थी अपने संपूर्ण हस्ताक्षर करेंगे तथा सभी स्थानों पर एक से हस्ताक्षर करेंगे. हस्ताक्षरों में भिन्नता पाई जाने पर अभ्यर्थी सीट आवंटन/प्रवेश का हकदार नहीं होगा.
- 3.2 यदि ऐसा पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में प्रविष्टि के समय, अभिलेखों की जांच के समय, सीट के आवंटन के समय तथा प्रवेश के समय कोई तथ्य एवं जानकारी छुपाई गई है एवं/अथवा गलत जानकारी दी गई है तो दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान कभी भी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा.
 - 3.3 छात्र को दुराचरण, अनुशासनहीनता, लगातार बिना सूचना के एक माह से अधिक अनुपस्थित रहने का दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसमें प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन की कार्यवाही एवं विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन का निरस्तीकरण किया जाना सम्मिलित है.
 - 3.4 मण्डल द्वारा निर्धारित केन्द्र पर परीक्षा होगी. एक बार आवंटित होने पर केन्द्र नहीं बदला जावेगा. उम्मीदवार, मण्डल के नियम एवं विनियम के पालन के लिये बाध्यकारी होगा, पालन न करने पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जावेगी.

4.0 **सीटों की उपलब्धता.**—महाविद्यालयवार बीएएमएस, बीएचएमएस. बीयूएमएस एवं बीएनवायएस पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटें तालिका-1 में दर्शाई गई हैं. शासकीय (स्वशासी)/निजी क्षेत्र के आयुष महाविद्यालयों की स्वीकृत सीटें राज्य शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप पाहुन्ट-2014 के चयनित अभ्यर्थियों द्वारा आनलाईन कार्डसिलिंग के माध्यम से भरी जावेगी.

5.0 **आरक्षण.**—सभी महाविद्यालयों हेतु 20 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजाति, 16 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति तथा 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिये एवं शेष सीटें अनारक्षित हैं. (तालिका 2 व 3).

- 5.1 **विकलांग.**—ऐसे विकलांग जो मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी तथा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनारक्षित प्रवर्गों के हैं, उनके लिये छह प्रतिशत सीटें बी.ए.एम.एस., बी.एच.एम.एस. तथा बी.यू.एम.एस., बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षित की गई हैं. यह आरक्षण (क्षैतिजिक) हॉरिजान्टल तथा कम्पार्टमेंटेलाइज्ड होगा. यह स्पष्ट किया जाता है कि दृष्टि बाधित एवं श्रवण बाधित विकलांगों में पूर्ण रूप से श्रवण बाधित एवं दृष्टि बाधित विकलांग प्रवेश के पात्र नहीं होंगे. विकलांगता के प्रमाण-पत्र के आधार पर 50 प्रतिशत तक श्रवण बाधित दृष्टि बाधित विकलांगों को प्रवेश दिया जा सकेगा तथा किसी भी हाथ की विकलांगता मान्य नहीं होगी तथा पैरों के संबंध में 40 से 60 प्रतिशत अपंगताधारी अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु पात्र होंगे. आरक्षण का यह उक्तानुसार लाभ निर्धारित संस्था से विहित प्रारूप में जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर देय होगा. इन सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार को अधीक्षक, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वासा केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से विहित प्रारूप में पात्रता प्रमाण-पत्र एवं जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा. इस प्रकार से दोनों प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

- 5.2 **सैनिक संवर्ग (मिलिट्री पर्सन).**—(प्रारूप-2).—बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सैनिक संवर्ग/मिलिट्री पर्सनल (एमपी) में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा

वर्ग एवं अनारक्षित प्रवर्गों के अन्तर्गत सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों के लिये प्रवेश हेतु 03 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। यह आरक्षण हॉरिजान्टल (क्षैतिजिक) तथा कम्पार्टमेंटेलाइज्ड होगा।

- 5.2.1 सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत उन सैनिकों (एम.पी.) के पुत्र/पुत्रियों के लिये सीटें आरक्षित हैं, जो सैनिक के रूप में सेवा कर चुके हैं, जिसमें भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी सम्मिलित हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो गये हों।
- 5.2.2 भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने माता/पिता का भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे मध्यप्रदेश में बस गए भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री हैं।
- 5.2.3 भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो।
- 5.2.4 भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने माता/पिता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र तथा अपने माता/पिता के मध्यप्रदेश में बसने संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है, ऐसे अभ्यर्थी को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

इस संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह प्रवेश परीक्षा के वर्ष की पहली जनवरी से पूर्व मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है।

टिप्पणी.—सैनिक संवर्ग के अन्तर्गत किसी अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में किसी विवाद की स्थिति संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

- 5.3 **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी.**—(प्रारूप-3).—अनुसूचित जनजाति, अनुसूति जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित प्रवर्गों के मध्यप्रदेश के मूलनिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री या पौत्र/पौत्री या नाती/नातिनों के लिये बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु तीन प्रतिशत सीट आरक्षित हैं। आरक्षण (क्षैतिजिक) हॉरिजान्टल तथा कम्पार्टमेंटेलाइज्ड होगा।
- 5.3.1 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वह व्यक्ति होगा जिसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर के कार्यालय में संधारित सूची में पंजीकृत हो।
- 5.3.2 ऐसे अभ्यर्थी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग के अधीन प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर से तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य कोई दस्तावेज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग का होने के लिये वैध प्रमाण-पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा।
- 5.4 **महिला आरक्षण.**—बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्येक प्रवर्ग अर्थात् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित प्रवर्ग में 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित रखी गई हैं। यह आरक्षण (क्षैतिजिक) हारिजान्टल व Compartmentalised होगा।

- 5.5 अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अपने प्रवर्ग के अधीन केवल एक आरक्षित संवर्ग के अन्तर्गत आरक्षण के लिये आवेदन कर सकता है। आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को म. प्र. शासन के सक्षम अधिकारी से विहित प्रपत्र में **स्थाई जाति प्रमाण-पत्र** प्रस्तुत करना होगा। स्थाई जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण की पात्रता नहीं होगी जिसका उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा। प्रमाण-पत्र पर प्रकरण क्रमांक, दिनांक एवं जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम एवं सील होना आवश्यक है अन्यथा प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जावेगा (प्रारूप-4)।
- 5.6 ऐसे अभ्यर्थी जो किसी संवर्ग (सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग एवं महिला संवर्ग) के अन्तर्गत प्रवेश के लिये इच्छुक नहीं हैं, वे अपनी स्वयं के प्रवर्ग में बिना संवर्ग (एक्स) के अन्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।

6.0 अर्हतायें.—(अ) शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालयों में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी **मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है** किन्तु निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य नहीं है।

(ब) शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए किसी एक मापदण्ड की पूर्ति आवश्यक है:—

1. आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो तथा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरंतर कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो।
2. आवेदक का पिता मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर निवासरत हो।
3. आवेदक का पिता मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से निरंतर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल संपत्ति धारित करता हो/उद्योग/व्यवसाय करता हो।
4. आवेदक का पिता राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त शासकीय सेवक हो।
5. आवेदक का पिता मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत स्थापित संस्था/निगम/मंडल/आयोग का सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हो।
6. आवेदक का पिता केन्द्र शासन का मध्यप्रदेश की सीमा में 10 वर्ष से सेवारत शासकीय सेवक हो।
7. आवेदक का पिता अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित अधिकारी हो।
8. आवेदक का पिता मध्यप्रदेश में संवैधानिक अथवा विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो।

स्पष्टीकरण.—1. मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण-पत्र कलेक्टर या संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया हो। प्रमाण-पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी होने का दिनांक तथा मोहर और जारीकर्ता अधिकारी का पदनाम होना चाहिए।

स्पष्टीकरण.—2. किसी भी अभ्यर्थी के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला कलेक्टर की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक तथा नियंत्रक हो। अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि अभ्यर्थी का पिता जीवित न हो परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही अभ्यर्थी का प्राकृतिक अभिभावक माना जायेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.—3. मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-17-1-3-2011, दिनांक 20 दिसम्बर 2011 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार 20 दिसम्बर 2011 के पश्चात् वैध प्रारूप पर ही स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा परन्तु दिनांक 20 दिसम्बर 2011

के पूर्व के वास्तविक एवं मूल निवासी वैध प्रमाण-पत्र जिन्हें मध्यप्रदेश राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, को भी मान्य किया जावेगा।

- 6.1 बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल की 10+2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा (अर्हता परीक्षा) में भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी विषय में प्रत्येक विषय अलग-अलग उत्तीर्ण करते हुए संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त अनारक्षित प्रवर्ग के तथा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। बी. यू. एम. एस. पाठ्यक्रम हेतु उन अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने उपरोक्त के साथ में अनिवार्य रूप से उर्दू विषय लेकर मध्यप्रदेश हायर सेकेण्ड्री परीक्षा या दसवीं बोर्ड से उत्तीर्ण की हो अथवा उर्दू की ऐसी समकक्ष परीक्षा जो मध्यप्रदेश शासन/माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल द्वारा उक्त परीक्षाओं के समकक्ष मान्य की गई हो, उत्तीर्ण की हो।

ऐसे सभी प्रवर्गों तथा संवर्गों के अभ्यर्थियों को 10+2 अर्हक परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

अथवा

मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड द्वारा बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समकक्ष या उच्च परीक्षा भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी विषय लेकर उत्तीर्ण की हो। विदेशी नागरिक यदि प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनकी पात्रता पर संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा प्रदान किये गये समानता प्रमाण-पत्र और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होने के आधार पर ही विचार किया जायेगा। ऐसे सभी प्रवर्गों तथा संवर्गों के अभ्यर्थियों को समकक्ष अर्हक परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

- 6.2 किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं दी जावेगी, जब तक वह 17 वर्ष की आयु का न हो चुका हो अथवा परीक्षा के वर्ष की 31 दिसम्बर को अथवा उसके पहले 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला न हो। अभ्यर्थी को ऊपर बताये अनुसार आयु की गणना करने के लिये हायर सेकेण्ड्री स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अथवा उस परीक्षा की अंक सूची में अंकित जन्म तारीख को ही प्रमाणित दस्तावेजी सबूत माना जावेगा।

ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में जो अपनी निवासी संबंधी अपेक्षाएं पूरी कर चुके हैं लेकिन जिन्होंने अपने मात-पिता के साथ विदेश में रहकर कोई ऐसी परीक्षा पास की है जिसे मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश के हायर सेकेण्ड्री स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा के समकक्ष प्रमाणित किया हो तो उनकी आयु के सबूत के समर्थन में तत्संबंधी साक्ष्य पर विचार किया जा सकेगा।

7.0 फीस संरचना.—शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालयों में प्रवेशित अभ्यर्थी को तालिका-4 व निजी महाविद्यालयों में प्रवेशित प्रत्येक अभ्यर्थी को शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस रिपोर्टिंग के समय महाविद्यालय में जमा करनी होगी।

टीप.—विभाग के अधीन शासकीय स्वशासी एवं निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रवेशित प्रत्येक छात्रों द्वारा शासन की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं का लाभ शासन के संबंधित नियमों के तहत पात्रानुसार प्राप्त किया जा सकेगा।

7.1 प्रतिभूति निक्षेप.—

- 7.1.1 शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालय में काउंसिलिंग से प्रवेश मिलने पर रिपोर्टिंग के समय अनारक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) प्रतिभूति निक्षेप बैंक ड्राफ्ट से, जो संबंधित शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के नाम से देय होगा, जमा करना होगा।
- 7.1.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग में उन अभ्यर्थियों को जिसके माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रुपये 1.80 लाख से अधिक नहीं है तो उसे प्रतिभूति निक्षेप जमा नहीं करना होगा। परन्तु अनुसूचित जाति/

अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के जिन अभ्यर्थियों के माता/पिता अभिभावक की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से रुपये 1.80 लाख से अधिक है उन्हें प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रुपये 2000/- का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।

- 7.1.3 अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को केवल रुपये 2000/- प्रतिभूति निक्षेप उपरोक्तानुसार जमा करना होगा।
- 7.1.4 आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के समय वर्तमान वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल 2014 के बाद जारी) का आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.-3-11-1-3-2010, दिनांक 7 सितम्बर 2010 के द्वारा संबंधित तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार को उनके प्रभार क्षेत्र के अन्तर्गत आय प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। (आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन एवं प्रमाण-पत्र प्रारूप क्रमांक 09 "अ" एवं 09 "ब" पर है। इसी प्रारूप में जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा)।
- 7.1.5 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर संबंधी निर्धारण हेतु वर्ष 2013-14 का आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। क्रीमीलेयर में आने वाले अभ्यर्थी अपने संवर्ग में आरक्षण के पात्र नहीं होंगे।
- 7.2 **प्रतिभूति निक्षेप वापिसी.**—प्रतिभूति निक्षेप को इंटरशिप सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् बिना ब्याज वापिस कर दिया जायेगा। यदि अभ्यर्थी किसी कारण से आवंटित पाठ्यक्रम एवं संस्था में प्रवेश नहीं लेता है अथवा पाठ्यक्रम में अध्ययन बंद कर देता है अथवा इंटरशिप पूर्ण करने के पूर्व महाविद्यालय छोड़ देता है तो प्रतिभूति निक्षेप समपहत कर लिया जाएगा।
- 7.3 **फीस वापिसी.**—काउंसलिंग द्वारा प्रवेशित छात्रों द्वारा अंतिम काउंसलिंग के 10 दिवस पूर्व तक सीट छोड़ने संबंधी सूचना लिखित में संस्था में प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा फीस से 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि लौटायी जावेगी। उक्त समय-सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। तथा केवल काशनमनी वापसी योग्य होगी। यह प्रक्रिया राज्य एवं राज्य से बाहर के प्रवेश लेने वाले छात्रों पर समान रूप से लागू होगी।
- 7.4 **फीस हस्तांतरण.**—पाहुंट के माध्यम से स्वशासी/निजी संस्थाओं में रिप्लोकेशन द्वारा सीट परिवर्तित करने वाले छात्रों की फीस एक संस्था से दूसरी संस्था में हस्तांतरित की जावेगी।
- 8.0 **परीक्षा.**—प्रवेश परीक्षा अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम में होगी। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र भरते समय किसी एक माध्यम हेतु सहमत होना होगा।
- 8.1 तीन घंटे की अवधि का एक प्रश्न-पत्र (बहुविकल्प) होगा, बहुविकल्प प्रश्न-पत्र में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान के दो सौ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र निम्नानुसार दो भागों में विभाजित होगा—

भाग (1)	विषय का नाम (2)	प्रश्नों (वस्तुनिष्ठ) की संख्या (3)	अंक (4)
ए	भौतिक शास्त्र+रसायन शास्त्र	(50+50)=100	(50+50)=100
बी	प्राणिशास्त्र+वनस्पति शास्त्र	(50+50)=100	(50+50)=100
		कुल 200	200

- 8.2 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिये प्रत्येक सही उत्तर के लिये एक अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर, अनुत्तरित प्रश्न अथवा एकाधिक उत्तर के लिये कोई अंक नहीं दिये जायेंगे। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।
- 8.3 **परीक्षाफल की घोषणा.**—मण्डल द्वारा परीक्षा का आयोजन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी तथा परीक्षाफल घोषित किया जावेगा।

- 8.4 **प्रावीण्य सूची.**—शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रावीण्य सूची नियम 6.1 में वर्णित अर्हताधारी मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर घोषित की जायेगी.
- 8.4.1 निजी क्षेत्र के आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु नियम 6.1 में वर्णित अर्हताधारी पाहुन्ट में भाग लेने वाले मध्यप्रदेश एवं मध्यप्रदेश के बाहर के समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर संयुक्त प्रावीण्यता सूची जारी की जायेगी.

टीप.—शासकीय स्वशासी आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी महाविद्यालयों के लिये प्रवर्गवार प्रावीण्यता सूची नियम-6 के अनुसार तैयार की जायेगी.

8.5 **पारस्परिक योग्यता.**—ऐसी परिस्थिति में जब दो या अधिक अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में समान अंक प्राप्त होते हैं, तब ऐसे अभ्यर्थी को निम्न अधिमान में रखकर पारस्परिक वरीयता तय की जावेगी.

1. प्रश्न पत्र के भाग-बी (प्राणीशास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र) में प्राप्त अंकों के आधार पर.
2. आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी.

9.0 काउंसिलिंग-सीट आवंटन :

- 9.1 योग्य अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में सीट आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी. आनलाईन काउंसिलिंग के लिए विस्तृत जानकारी पृथक् से जारी की जावेगी.
- 9.2 सभी अंकसूचियों, प्रमाण-पत्रों एवं सभी संबंधित दस्तावेजों में अभ्यर्थी तथा पिता का नाम एक सा लिखा होना चाहिये. यदि किसी भी दस्तावेज में कहीं कोई अंतर हो तो ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु सत्यापन के पूर्व उसे दुरुस्त करा लें अन्यथा निरस्ती होने पर इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा.
- 9.3 पूर्व वर्षों में आयुष पाठ्यक्रम में अध्ययनरत अभ्यर्थी यदि इस वर्ष की पाहुन्ट परीक्षा के आधार पर पुनः पात्रता हासिल करता है तो अभ्यर्थी को प्रारूप-1 एवं 1 (अ) के साथ मूल अभिलेख अथवा मूल अभिलेखों की छायाप्रतियों सहित संबंधित अध्ययनरत संस्था के प्रधानाचार्यों का यह प्रमाण-पत्र मूलतः प्रस्तुत करना होगा कि वे सभी अभिलेख (सूची दर्शाते हुए) मूलतः उनकी अध्ययनरत संस्था के पास जमा हैं. आवंटन होने पर आवंटित संस्था में प्रवेश के समय मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा. अन्यथा ऐसा दिया गया आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा.
- 9.4 **रजिस्ट्रेशन.**—रजिस्ट्रेशन की तिथि निधारित कर समाचार-पत्रों एवं MP Online के पोर्टल पर दिया जायेगा. रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदक को MP Online के पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसका निर्धारित शुल्क रुपये 150/- (एक सौ पचास रुपये मात्र) देय होगा. जिसकी रसीद दी जावेगी (रजिस्ट्रेशन KIOSK के माध्यम से कराने पर प्रिंट आउट का शुल्क पृथक् से देय नहीं होगा.) आवेदक को अपनी जानकारी सही-सही दर्ज करानी होगी. रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात् प्रत्येक आवेदक को रजि. नं. एवं एक अस्थाई गुप्त पासवर्ड प्रदाय किया जावेगा, जिसे आवेदक को च्वाइस फिलिंग के समय बदलना अनिवार्य होगा.

- 9.5 **अभिलेख सत्यापन.**—आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय दिये गये विवरण अनुसार अपने मूल दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु निम्नांकित केन्द्रों में से किसी भी एक संस्था (हेल्प सेन्टर) पर जाकर सत्यापन (प्रारूप-1 पर) कराना होगा—
1. शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल
 2. शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर
 3. शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, इन्दौर
 4. शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, जबलपुर
 5. शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, रीवा
 6. शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन
 7. शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल
 8. शासकीय (स्वशासी) यूनानी महाविद्यालय, भोपाल
- 9.5.1 रजिस्ट्रेशन के समय जानकारी देते समय व्यापम में आवेदन करते समय दी गई जानकारी को छोड़कर अन्य कोई त्रुटि हो गई हो तो अथवा कमी रह गई हो तो उसे सत्यापन केन्द्र पर सही कराया जा सकता है.
- 9.5.2 **अभिलेख सत्यापन.**—अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को सत्यापन केन्द्र पर कोई शुल्क जमा नहीं कराना होगा. सत्यापन निःशुल्क होगा.
- 9.6 **संस्था का चयन.**—आवेदक को अपनी प्राथमिकता के अनुसार पाठ्यक्रमों/संस्थाओं का क्रमानुसार चयन का विकल्प MP Online के पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर करना होगा. जिसका निर्धारित शुल्क 250/- रुपये (दो सौ पचास रुपये मात्र) MP Online के पोर्टल अथवा Kiosk को देय होगा (च्वाइस फिलिंग Kiosk के माध्यम से करने पर प्रिंट आउट चार्ज पृथक से देय नहीं होगा). इस राशि की रसीद दी जावेगी. जिसमें आवेदक द्वारा चयनित संस्थाओं की सूची दर्शित होगी. प्रथम बार के अतिरिक्त बाद में किये जाने वाले च्वाइस फिलिंग के लिये केवल 100/- रुपये शुल्क देना होगा.
- 9.7 **अलाटमेंट.**—आवेदक अलाटमेंट की निर्धारित तिथि पर MP Online पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर पाहुंट का रोल नं. जन्मतिथि एवं च्वाइस फिलिंग के समय परिवर्तित किया गया पासवर्ड डालकर अलाटमेंट लेटर प्राप्त कर सकता है.
- 9.8 **रिपोर्टिंग.**—आवेदक को महाविद्यालय अलाट होने के बाद आवंटित महाविद्यालय जाकर रिपोर्टिंग देनी होगी एवं अपना पाहुंट रोल नं. एवं पासवर्ड इंटर कर महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराना होगा.
- 10.0 **प्रवेश.**—अभ्यर्थी ऑनलाईन काउंसलिंग के द्वारा पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय आवंटन के पश्चात्, अधिसूचित दिनांक एवं समय पर संबंधित महाविद्यालय के प्राधानाचार्य को अपनी उपस्थिति की सूचना देगा.
- 10.1 महाविद्यालय की प्रवेश समिति में दो वरिष्ठ शिक्षक तथा कम से कम दो आरक्षित प्रवर्ग के शिक्षक रहेंगे. यह समिति मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेगी तथा यदि पात्र पाया जाए तो उम्मीदवार को पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुशंसा प्रधानाचार्य को करेगी.
- 10.2 पाठ्यक्रम में प्रवेश के उपरान्त उम्मीदवार के मूल अभिलेख जारीकर्ता अधिकारी से सत्यापन पश्चात् वापस किये जायेंगे.

- 10.3 यदि कोई अभ्यर्थी उपस्थित होने की संसूचित दिनांक तक उपस्थित नहीं होता है अथवा उपस्थित होकर छोड़ देता है अथवा संस्था प्रमुख को पूर्व सूचित किये बिना लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है, तो उसका दावा समाप्त हो जावेगा तथा उसका आवंटन/प्रवेश निरस्त हुआ समझा जावेगा.
- 10.4 अभ्यर्थियों को अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी एवं उनको तभी प्रवेश दिया जायेगा जब वे चिकित्सकीय दृष्टि से फिट होंगे.
- 11.0 अकादमिक सत्र प्रारंभ होने की अंतिम तिथि 01 नवम्बर से बाद नहीं होगी. किसी भी कारण से होने वाली रिक्तियों पर प्रवेश होम्योपैथी महाविद्यालयों में 31 अक्टूबर (CCH निर्देशानुसार) व आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में वर्ष के 31 अक्टूबर (CCIM निर्देशानुसार) तक ही दिया जा सकेगा.
- 12.0 **प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम:**
1. प्रथम काउंसिलिंग की तिथि — परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद तिथि घोषित की जायेगी
 2. सत्रारंभ तिथि — बाद में घोषित की जायेगी
 3. द्वितीय/तृतीय काउंसिलिंग (यदि आवश्यक हो). — बाद में घोषित की जायेगी
 4. किसी भी कारण से हुई रिक्तियों पर प्रवेश दिये जाने की अंतिम तिथि. — होम्योपैथी महाविद्यालयों में—31 अक्टूबर
— आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में—
31 अक्टूबर.

- टिप्पणी.**—1. नियम 12 में दर्शाये कार्यक्रम के अनुसार आनलाईन काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम राज्य एवं राज्य के बाहर के मुख्य समाचार-पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा. यदि कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे भी प्रदेश एवं बाहर के प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा साथ ही संचालनालय आयुष म. प्र. की वेबसाइट WWW.mp.gov.in/Ayush पर भी सूचित किया जावेगा.
2. यदि ऐसे किसी विद्यार्थी की पहचान होती है, जिसका प्रवेश अंतिम तिथि के पश्चात् हुआ हो तो ऐसे विद्यार्थी को उक्त पाठ्यक्रम से निकाल दिया जायेगा एवं/अथवा यदि उसे कोई भी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग शैक्षणिक योग्यता दी जा चुकी है तो यथास्थिति भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उक्त योग्यता को मान्यता प्रदान नहीं की जावेगी.
- 13.0 प्रदेश के शासकीय या निजी आयुर्वेद, होम्योपैथी यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा यदि कोई सीट वृद्धि की अनुमति काउंसिलिंग के पूर्व प्राप्त हो जाती है अथवा किसी महाविद्यालय को मान्यता/प्रवेश अनुमति प्राप्त होती है तो उनमें काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जा सकेगा.
- 13.1 **सक्षम प्राधिकारी.**—किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश के संबंध में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु आयुक्त/संचालक आयुष सक्षम प्राधिकारी होंगे जिनका निर्णय अंतिम होगा.
- 14.0 **नियमों में संशोधन का अधिकार.**—राज्य सरकार प्रवेश के किसी नियम एवं प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार रक्षित करती है. इन नियमों के निर्वचन और उनमें संशोधन के संबंध में किसी विवाद की दशा में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम और सभी संबंधितों पर बाध्यकर होगा.

MADHYA PRADESH
PRE AYURVED, HOMOEOPATHY, UNANI, NATUROPATHY & YOGA TEST (M.P. PAHUNT)
UNDERGRADUATE ENTRANCE EXAMINATION RULES, 2014

No./F 1-4-2014-1-LIX.—In exercise of the powers conferred by Section 10 of Madhya Pradesh Chikitsa Shiksha Sanstha Niyam Adhiniyam, 1973, the State Government hereby makes the following rules to carry out the purpose of the Adhiniyam i.e. the Entrance to Undergraduate Course in Govt. (Autonomous)/private Ayurveda, Homoeopathy, Unani Colleges and Private, Naturopathy & Yoga Colleges in the State of Madhya Pradesh :—

1.0 TITLE:—These rules may be called as “**Madhya Pradesh Pre Ayurved, Homoeopathy, Unani, Naturopathy & Yoga Test (MP PAHUNT) Undergraduate Entrance Examination Rules, 2014**” These rules shall be effective from the date of publication in the Gazette of Madhya Pradesh.

2.0 DEFINITIONS:—In these rules, until the context otherwise indicates,

- 2.1** “Board” means the Madhya Pradesh Professional Examination Board (MPPEB)/VYAPAM;
- 2.2** “College” means a College of Ayurved , Homoeopathy, Unani, Naturopathy & Yoga under the Government of Madhya Pradesh.
- 2.3** “Examination” means the Entrance Examination conducted by Madhya Pradesh Professional Examination Board (MPPEB / VYAPAM);
- 2.4** “State Government” means Government of Madhya Pradesh;
- 2.5** “Category” means Scheduled Tribe (ST), Scheduled Caste (SC), Other Backward Classes (OBC) and Unreserved (UR) category as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh;
- 2.6** “Class” means Military Personnel (MP), Freedom Fighter (FF), Female (F) and No Class (X) as specified and laid down by Government of Madhya Pradesh. Physically Handicapped (PH) means as specified and laid down by Ministry of Labour, Government of India vocational rehabilitation Centre for Physically Handicapped.
- 2.7** “Rules” means Madhya Pradesh Pre Ayurved , Homoeopathy, Unani, Naturopathy & Yoga Undergraduate Examination Rules, 2014.
- 2.8** “CCIM” means Central Council of Indian Medicine.
- 2.9** “CCH” means Central Council of Homoeopathy.

3.0 GENERAL :—

(i) Undergraduate Courses BAMS (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery), BHMS (Bachelor of Homoeopathic Medicine & Surgery), BUMS (Bachelor of Unani Medicine & Surgery) and BNYS (Bachelor of Naturopathy & Yogic Science) shall be governed and regulated by CCIM (Central Council of Indian System of Medicine) / CCH (Central Council of Homoeopathy) / University / Autonomous Society of the College/ State Government / Government of India and entrance examination and allotment shall be Governed and regulated by the rules and regulations in force at the time of admission and amendment made in these rules/regulation from time to time.

(ii) These rules shall apply to all candidates for entrance, allotment and admission in the following courses and colleges (table - 1.)

1. BAMS Course in Govt (Autonomous) Ayurved Colleges, Bhopal, Burhanpur, Gwalior, Indore, Jabalpur, Rewa and Ujjain.

2. BHMS Course in Govt. (Autonomous) Homoeopathic College, Bhopal.
3. BUMS Course in Govt (Autonomous) Unani College, Bhopal.
4. BAMS Course in Ayurved Colleges running in the State of M.P. in Private Sector
5. BHMS Course in Homoeopathic Colleges running in the State of M.P. in Private sector
6. BUMS Course in Unani Colleges running in the State of M.P. in Private Sector
7. BNYS Course in Naturopathy Colleges running in the State of M.P. in Private Sector.

3.1 (1) Before filling up the Online application form, the candidates are advised to read and understand the rules thoroughly and then fill up complete, correct and requisite information and must enclose requisite documents, failing which applicant shall not be eligible for entrance examination, allotment and admission.

(2) The candidate must bring the same colour photograph at the place of scrutiny and at the time of admission in the allotted institution which he/she has attached in form i.e. Online application form which has been sent to Board.

(3) The colour photograph of the candidate **should bear his/ her name and the date on the front of the lower part of photograph** with both ears should be visible and chin should be straight. The size of photograph should be 3.5 cm breadth and 4.5 cm length. Adequate numbers of photograph should be kept (approximately 20 numbers) in respect of time to time requirement.

(4) **The photograph should not be older than three months from the date of filling of entrance examination from.**

(5) In case any discrepancy in the photographs, the candidate will not be eligible for the allotment of seat and admission.

(6) At the time of scrutiny and admission the candidate should furnish correct information. The candidate should sign the same full signature at the time of entrance examination, scrutiny and at the time of admission in the allotted college. If the signature differs, the candidate will not have any right for allotment of seat/ admission.

3.2 If it is found that a candidate has concealed any relevant facts and / or provided incorrect information in the Online application form at the time of allotment of a seat/, scrutiny of the documents or at the time of his / her admission, then the admission shall be cancelled by the Principal of the College at any time during his/her studies.

3.3 Students found guilty of misconduct, indiscipline and absence of more than one month continuously without information would be liable to disciplinary action including expulsion from the college by the Principal and cancellation of registration by the university.

3.4 The examination shall be held at the Centre fixed by the Board. Centre once allotted shall not be changed. The candidate shall abide by the rules and regulations of the Board failing which his / her candidature will be cancelled.

4.0 AVAILABILITY OF SEATS :—

The available seats in BAMS / BHMS/ BUMS/BNYS courses are shown college wise in table number 1. The sanctioned seats of Govt. (Autonomous) and Private Colleges shall be filled in accordance with the reservation policy of the State Government and shall be filled up by selected eligible candidates of PAHUNT 2014 Entrance Examination through Online counseling.

5.0 RESERVATION:—

20% Seats are reserved for candidates belonging to Scheduled Tribe, 16% seats are reserved for candidates belonging to Scheduled Caste and 14% seats are reserved for candidates belonging to other Backward Classes (other than creamy layer), and remaining seats are available for candidates belonging to Unreserved category in all the colleges.(table 2 and 3).

5.1 Physically Handicapped—For **Physically Handicapped** who are **bonafide residents** of Madhya Pradesh belonging to Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Other Backward Classes and Unreserved category, **6% seats** are reserved for admission to BAMS, BHMS, BUMS and BNYS courses. Reservation shall be horizontal and compartmentalized. It is clarified that candidates having complete disability of ophthalmic and auditory sense organs shall not be eligible for admission among the disabled candidates, only those having disability of ophthalmic and auditory sense organs up to 50%, will be considered eligible for admission. Similarly, the candidates having disability in upper limb will not be considered. However, a candidate having disability in lower limb up to 40 to 60 % shall be considered eligible for admission. The advantage of such reservation will be provided on the basis of medical certificate issued by the notified institution in prescribed proforma. The candidate desirous of taking admission against these seats shall have to produce a medical certificate issued by District Medical Board and eligibility certificate from Superintendent, Ministry of Labour, Government of India Vocational Rehabilitation Center for Physically Handicapped, Napier Town, Jabalpur in the prescribed proforma. **Thus both the certificates have to be produced compulsorily.**

5.2 Sainik Category (Military Personnel):—Proforma – 2

For **son/daughter** of **Sainik Category / Military Personnel (MP)** belonging to Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Other Backward Classes and UR categories, 3% seats are reserved for admission to BAMS / BHMS / BUMS/ BNYS courses. Reservation shall be horizontal and compartmentalized.

- 5.2.1** Seats reserved for son/daughter of the Military Personnel (MP) class include Ex-Military Personnel who have served as defence employees, serving defence employees and those defence employees who died during the course of service or who became permanently disabled during service.
- 5.2.2** Candidate claiming admission under Military Personnel class will have to produce a certificate showing that he/she is son/daughter of an Ex-Military Personnel settled in Madhya Pradesh.
- 5.2.3** Ex-Military personnel means a person who fits in the definition of Ex-Military Personnel as per direction issued by Ministry of Defence, Government of India.
- 5.2.4** A candidate claiming admission on account of being a son/daughter of an Ex-Military Personnel will have to produce the certificate of his / her father / mother being an Ex-Military Personnel and a certificate of his / her father / mother having settled in Madhya Pradesh from District Sainik Welfare Officer of the concerned district.

OR

Son / daughter of defence employees who are posted outside Madhya Pradesh and who are bonafide residents of Madhya Pradesh shall have to produce a certificate that his / her father / mother is a bonafide resident of Madhya Pradesh.

OR

Son/daughter of defence employees who are posted in Madhya Pradesh before first January of the year of entrance Examination will have to produce a certificate that he / she is a son / daughter of such an employee.

Note.—In case of any dispute regarding the eligibility of a candidate belonging to the Military Personnel, the decision of Director, Sainik Welfare, Madhya Pradesh shall be final and binding.

5.3 Freedom Fighter (FF):—Proforma – 3

For sons /daughters or grandsons/granddaughters of Freedom Fighters (FF) who are bonafide residents of Madhya Pradesh belonging to SC, ST, OBC and UR categories, 3% seats are reserved for admission to BAMS/BHMS/ BUMS/BNYS courses. Reservation shall be horizontal and compartmentalized.

5.3.1 Freedom Fighter (FF) is a person whose name is registered in the list kept in the Collectorate of the concerned district of Madhya Pradesh.

5.3.2 Candidate applying for admission under Freedom Fighter (FF) class shall have to produce certificate in this regard from the Collector of concerned district of Madhya Pradesh. No other documents shall be considered as a valid certificate belonging to Freedom Fighter (FF) class.

5.4 Female:—30% seats for admission to BAMS/BUMS/BHMS/BNYS courses are reserved for Female candidates in each category of SC/ST/OBC and UR. This reservation shall be horizontal and compartmentalized.

5.5 A candidate can apply for only one reserved class under his/her category. The reserved category candidates must produce a permanent caste certificate issued by competent authority of Govt. of M.P. in the prescribed proforma. He/she will not be eligible if fails to produce permanent caste certificate and for which the responsibility will be of himself/herself. The caste certificate should bear case no., date, designation and seal of the issuing officer otherwise it will not be accepted [Proforma-4].

5.6 A candidate not willing for admission in any class [MP, FF, PH,F] can apply in open Class (X) of his/her category.

6.0 ELIGIBILITY :—

[A] The candidate must be **bonafide resident of Madhya Pradesh** for admission in Govt. (Autonomous) Colleges, but to be bonafide resident of M.P. will not be essential for admission in Private Colleges.

[B] For admission in Govt.(Autonomous) Colleges any one of the following condition is compulsory—

1. Candidate born in Madhya Pradesh and studied for three years continuously in any educational institution of Madhya Pradesh.

OR

2. The father of candidate living in Madhya Pradesh continuously since not less than 15 years.

OR

3. The father of candidate living in Madhya Pradesh continuously since last 10 years and having immovable property / Industry/ Business in Madhya Pradesh.

OR

4. The father of candidate is a serving employee or retired employee of Government of Madhya Pradesh.

OR

5. The father of candidate is an serving employee or retired employee of a Institution/ Corporation/ Board/ Commission under Government of Madhya Pradesh.

OR

6. The father of candidate is an employee of Government of India who is posted in Madhya Pradesh since last 10 years.

OR

7. The father of candidate is an officer of All India services belonging M.P. cadre.

OR

8. The father of candidate is appointed in Madhya Pradesh on Constitutional/legal post by Honorable President of India/Governor of Madhya Pradesh.

Explanation-1.—Certificate regarding bonafide resident of M.P. must be issued by the Collector or an officer authorized by the Collector of the district concerned. The certificate must show reference number, date of issue, seal and designation of the Issuing Officer.

Explanation-2.—Guardian of a candidate means a person who from the date of the death of candidate's father and mother till the date of submitting application form is actual custodian and controller of candidate or his/her immovable property or both, as decided by the District Collector concerned. Guardian shall have to necessarily produce a certificate stating so from a competent court. If the father of the candidate is not alive and mother is alive then mother only shall be considered as a natural guardian of the candidate, nobody else shall be recognized as a guardian.

Explanation-3.—Regarding M.P. bonafide resident certificate directive has been issued by General Administration Department Govt. of M.P. circular no. C/17/1/2011 dated 20.12.11. Accordingly candidates have to produce bonafide resident certificate in the valid Proforma after 20.12.11. The valid bonafide resident certificate issued by the competent authority of M.P. before 20.12.11 shall be accepted.

6.1 For admission to BAMS /BHMS/ BUMS/BNYS course, only those candidates are eligible who have passed the 12th Exam of 10+2 system (qualifying examination) with Physics, Chemistry and Biology subjects separately and has secured not less than 50% aggregate marks for unreserved category and not less than 40% aggregate marks for reserve category. For admission to BUMS course, only those candidates are eligible who have **compulsorily passed Urdu subject in addition** to the qualifying exam from Board of Secondary Education, Madhya Pradesh or Tenth Board or equivalent examination in Urdu recognized by Govt. of M.P./Board of Secondary Education, Madhya Pradesh, Bhopal.

Candidates of all categories and classes are required to have passed ENGLISH subject in the qualifying examination of 10+2 system.

OR

Have passed an equivalent or higher examination with Physics, Chemistry and Biology from any other recognized Board or University recognized by Department of School Education, Government of Madhya Pradesh. For foreign nationals seeking admission, their eligibility shall be considered on the basis of equivalent certificate issued to them by the concerned Board/University and approved by the Ministry of External Affairs, Government of India. **Candidate of all categories and classes are required to have passed ENGLISH subject in qualifying equivalent examination.**

6.2 No candidate shall be allowed to be admitted in Ayurveda/ Homoeopathy/Unani/ Naturopathy & Yoga Colleges until the candidate has completed or shall complete the age of 17 year on or before 31st December of the year of examination. **For calculation of age as aforesaid, the date of birth as mentioned in the certificate of Higher Secondary School Certificate Examination or in MARKSHEET of the said examination shall be the authentic documentary proof.** The evidence in support of proof of age may be considered if a candidate, who otherwise satisfies the domicile requirements and who on account of being with his/her parents in a foreign country passes examination abroad if it is certified by the Department of School Education of Government of Madhya Pradesh as equivalent to Higher Secondary School Certificate Examination in Madhya Pradesh.

7.0 FEES STRUCTURE:—

Every candidate admitted in Govt. (Autonomous) and Private Colleges shall have to pay fees as shown in Table no. 4. and decided by Fee Regulatory Authority respectively at the time of reporting.

Note.—The benefit of Government schemes of reimbursement of fees and scholarships for the admitted students in Govt. Autonomous and Private Colleges under the Department of AYUSH may be availed as per the eligibility in accordance with Government rules.

7.1 Security deposit:—

7.1.1 After allotment of seat through counseling at the time of reporting in a Govt. (Autonomous) College. Candidates of unreserved category shall have to deposit Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) as security deposit by Bank Draft in favour of Principal of the concerned Govt. (Autonomous) College.

7.1.2 If the candidate belongs to SC/ST Category whose parents'/ guardians' income does not exceed Rs. 1.80 lacs per annum from all sources, he/she did not require for any such deposit. But if the candidate belongs to SC/ST Category whose parents'/ guardians' income exceed Rs. 1.80 lacs per annum from all sources, he/she shall have to submit a demand draft of Rs. 2000/- in favour of Principal of the concerned Govt. (Autonomous) college as security deposit.

7.1.3 All candidates belonging to OBC category shall have to deposit a demand draft of Rs. 2000/- in favour of Principal of the concerned Govt. (Autonomous) college.

7.1.4 It is mandatory for all candidates belonging to reserved categories to produce income certificate of current financial year (issued after 1st April 2014) at the time of document verification. Tahsildar/Ad. Tahsildar/ Nayab Tahsildar have been authorized to issue income certificate in their Jurisdiction *vide* M.P. Government GAD circular No. C/3-11/1/3/2010 dated 7th September 2010. The Proforma of application and income certificate is enclosed in Proforma 9A and 9B. The income certificate will be accepted if issued only in the prescribed Proforma.

7.1.5 Candidate of OBC category must produce income certificate of 2013 – 14 for deciding status of Creamy layer. Candidates classified in Creamy layer will not be eligible for reservation.

7.2 Security deposit refund:—

The amount of security deposit shall be refunded without any interest after successful completion of internship. In case, a candidate does not join the allotted course or discontinues study in the course or leaves college before completion of internship due to any reason, his/her security deposit shall be forfeited.

7.3 Fee refund:—

A student admitted in Under Graduate Course through counseling and who submits in writing, for leaving that seat, to his/ her respective college authorities before 10 days of the last counseling shall be entitled for refund of the deposited fee after deducting 10% fee. No Application for such refund will be entertained after the said period and only caution money will be refunded. This will equally be applicable for the candidates taking admission in the state and from out side state.

7.4 Fee transfer:—

In case of change of seats due to reallocation of seats, the candidate admitted through PAHUNT 2014 examination, the fees will be transferred from one institute to another institute.

8.0 EXAMINATION:—

The Entrance Examination shall be conducted in ENGLISH AND HINDI languages. Candidate has to opt any one medium while filling up the application form.

8.1 There shall be one paper (multiple choice) of three hours duration. Paper will contain 200 multiple choice questions in Physics, Chemistry, Zoology and Botany. The paper shall have two parts as following:—

PART	NAME OF SUBJECT	NO. OF QUESTIONS (Multiple choice)	MARKS
A	Physics + Chemistry	(50+50)=100	(50+50)=100
B	Zoology + Botany	(50+50)=100	(50+50)=100
TOTAL = 200			200

8.2 In objective type questions, ONE mark will be awarded for each correct answer. No Marks shall be awarded for an incorrect answer or multiple answers or for un-answered questions. There will be no negative marking.

8.3 DECLARATION OF RESULT:—

The Board shall conduct the examination, evaluate the answer sheets, prepare the merit list and declare the result.

8.4 MERIT LIST:—

A combined merit list shall be declared for the admission in the Govt. (Autonomous) Ayurveda/ Homoeopathy/ Unani Colleges of only those candidates who are bonafide residents of Madhya Pradesh and are qualified as per rule 6.1

8.4.1 A Combined Merit list including all candidates of Madhya Pradesh and the candidates from outside the state of Madhya Pradesh, who have qualified as per rule 6.1 and have appeared in PAHUNT shall be declared for the Private Ayurveda/ Homoeopathy/ Unani/ /Naturopathy Colleges.

Note.—Merit list for Govt. (Autonomous) Ayurveda/ Homoeopathy/ Unani Colleges of Madhya Pradesh will be prepared category wise, according to merit as per Rule-6.

8.5 INTER – SE – MERIT:—

In case of two or more candidates obtaining equal marks in the entrance examination, the inter-se merit of such candidate shall be determined in order of the following preferences/order :—

1. On the basis of marks obtained in part -B of Question paper i.e. Zoology and Botany.
2. Candidate being older in age.

9.0 COUNSELLING—SEAT ALLOTMENT:—

9.1 The allotment process in a course and college for an eligible candidate will be done through online counseling. **The detailed information regarding online counseling will be issued separately.**

9.2 Candidate's and father's name should appear same in all the related documents i.e. mark sheet, certificates and other documents. If there is any discrepancy in any documents the same should be corrected before verification for on line counseling otherwise if the application form is rejected the candidate himself/herself will be responsible.

9.3 A Candidate admitted to Ayush course on the basis of previous year's PAHUNT examinations, if succeeds in the present examination PAHUNT 2014 shall have to submit all the original documents with completed profarma-1 and 1(a) or photocopies there of along with a certificate of the Principal of the institution certifying that all these certificates (showing list) are in his custody. On allotment of a seat the candidate shall have to produce all the original documents to the authorities of the allotted college, otherwise his/her admission will be treated as cancelled.

9.4 REGISTRATION:—

The prescribed date of registration will be published in the news papers and will be available on **MP Online Portal**. Candidate shall have to register on **MP online Portal** or **Kiosk** by the payment of Rs.150/- (Rs. One Hundred Fifty Only) for that receipt will be given. (The separate fee for print out of the registration through **KIOSK** shall not be payable.). Candidate shall have to get his correct information entered. **The registration number and the secret password will be given to each and every candidate after registration. Candidates should have to change the same compulsorily at the time of choice filling.**

9.5 VERIFICATION:—

The candidate shall have to go to any one of the following centers (help center) for verification (Proforma-1) of all original documents according to the details given at the time of registration:—

1. Govt.(Autonomous) Ayurved College, Bhopal.
2. Govt.(Autonomous) Ayurved College, Gwalior.
3. Govt.(Autonomous) Ayurved College, Indore.
4. Govt.(Autonomous) Ayurved College, Jabalpur.
5. Govt.(Autonomous) Ayurved College, Rewa.
6. Govt.(Autonomous) Ayurved College, Ujjain.
7. Govt.(Autonomous) Homoeopathic College, Bhopal.
8. Govt.(Autonomous) Unani College, Bhopal.

9.5.1 If there is any error or deficiency in the information given by a candidate at the time of registration, except the information furnished while applying to VYAPAM, the same can be get rectified at verification centre.

9.5.2 Document verification fee:—

For verification candidate have not to pay any fee for verification of Documant at verification center. Verification will be free of Cost.

9.6 SELECTION OF INSTITUTION:—

Candidate has to select option of Course/Institution in order, according to his/her preference at **MP online** Portal or **Kiosk** for that the prescribed fee of Rs. 250/- (Rs. Two Hundred Fifty Only) shall be payable to **MP online** Portal or **Kiosk** (The separate fee for print out of the choice filling through **KIOSK** shall not be paid) The receipt of the fee paid will be given to the candidate in which the list of institutions selected by the candidate will be shown. After first time choice filling the next will be charged Rupees Hundred Only.

9.7 ALLOTMENT:—

Candidate may receive the allotment letter on the prescribed allotment date after entering the PAHUNT roll number, date of birth and changed password at the time of choice filling on **MP online** portal or **Kiosk**.

9.8 REPORTING:—

Candidate shall have to report to the allotted college after allotment of institution and shall ensure his/her admission by entering PAHUNT roll number and password.

10.0 ADMISSION:—

After candidate's allotment for a course and a College through Counselling, he /she shall report to the Principal of the College concerned on the notified date and time.

10.1 The Admission Committee of the College consisting of two senior teachers and at least two teachers belonging to reserved category shall verify the original documents of candidates and if found eligible, shall recommend admission of the candidate to the Principal.

10.2 After admission, the original documents will be returned to the candidates after verification from issuing authority.

10.3 if a candidate does not present till the notified date or left after joining or remains absent for a continuous period of 15 days without prior intimation to the Head of the Institution his/her claim shall be forfeited and allotment /admission given shall be deemed to have been cancelled.

10.4 The candidates shall have to undergo **EXAMINATION FOR MEDICAL FITNESS** and shall be admitted only if found medically fit.

11.0 ACADEMIC SESSION:—

The academic session shall commence not later than 1st November of the year. Last date up to which students can take admission against vacancies arising due to any reason in Homoeopathy colleges is 31st October of the year (as per direction of CCH) and in Ayurvedic, Unani, Naturopathy & Yoga Colleges is 31st October of the year (as per direction of CCIM).

12.0 SCHEDULES FOR ADMISSION PROCESS:—

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | First counseling | - | Dates will be published after declaration of result. |
| 2. | Commencement of Academic Session | - | To be declared later |
| 3. | Second/Third Counseling (if required) | - | To be declared later |
| 4. | Last date up to which students can be admitted against vacancies arising due to any reason. | - | In Homoeopathic Colleges - 31st October
In Ayurvedic, Unani, Yoga and Naturopathy - 31st October. |

Note.—

1. As given in Rule No. 12 a detailed programme of the online counseling will be advertised in leading newspapers of the state and out side the state. Any change in the programme shall be advertised in the leading news papers besides uploading the same information on the website www.mp.gov.in/dismh.

2. Any student identified as having obtained admission after the last date of closing of admission shall be rusticated from the course of study and/or any Ayurved/ Homoeopathy/ Unani/ Naturopathy & Yoga qualification granted to such student shall not be recognized according to the provisions of the acts of CCIM / CCH as the case may be.

13.0 In case, the permission of Government of India / State Government to increase the number of seats in any Government or Private Ayurved, Homoeopathy, Unani, Naturopathy & Yoga college is obtained or permission for admission/ recognition is granted to a collage, before counselling. the admission in such seats will be given through counselling.

13.1 AUTHORITY:—

In case of any dispute related to admission of a candidate, the Commissioner/Director, AYUSH, Madhya Pradesh shall be competent to redress such dispute, his decision shall be final.

14.0 AMENDMENT IN RULES:—

The State Government reserves the right to amend any rule and procedure for admission to the courses. In case of any dispute related to the interpretation of these rules and amendments therein the decision of the State Government shall be final and binding to all concerned.

TABLE - 1
(नियम-4.0)

पाहुंट प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित महाविद्यालयों की सूची

स.क्र.	क्र.	नाम महाविद्यालय	स्वीकृत सीट संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय			
1.	1	पं. खुशीलाल शर्मा शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान, भोपाल	50
2.	2	पं. शिवनाथ शास्त्री शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, बुरहानपुर	40
3.	3	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर	45
4.	4	शासकीय स्वशासी अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, इन्दौर	40
5.	5	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जबलपुर	40
6.	6	शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रीवा	40
7.	7	शासकीय स्वशासी धन्वंतरी आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन	40
शासकीय आयुर्वेद सीट संख्या : 295			
निजी आयुर्वेद महाविद्यालय			
8.	1	डॉ. शिवशक्तिलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय, रतलाम	40
9.	2	रानी दुल्लैया आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल	50
10.	3	वीणा वादिनी आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल	50
11.	4	शुभदीप आयुर्वेद महाविद्यालय, इन्दौर	50
12.	5	मंदसौर इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एजुकेशन, मंदसौर	50
निजी आयुर्वेद सीट संख्या : 240			
आयुर्वेद पद्धति की कुल सीटें : 535			
शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय			
13.	1	शासकीय स्वशासी होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल	70
शासकीय होम्योपैथी सीट संख्या : 70			
निजी होम्योपैथी महाविद्यालय			
14.	1	हेनीमन होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल	100
15.	2	एल. बी. एस. होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल	100
16.	3	नारायण श्री होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल	100
17.	4	स्वामी प्रणवानंद होम्योपैथी महाविद्यालय, छतरपुर	50
18.	5	गुजराती समाज होम्योपैथी महाविद्यालय, इन्दौर	100
19.	6	डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथी महाविद्यालय, रतलाम	100
20.	7	शिवांग होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल	100
21.	8	आर. के. डी. एफ. होम्योपैथी महाविद्यालय, मण्डीदीप, भोपाल	100

(1)	(2)	(3)	(4)
22.	9	इंदिरा गांधी होम्योपैथी महाविद्यालय, धार	100
23.	10	सेंधवा होम्योपैथी महाविद्यालय, सेंधवा, बड़वानी	100
24.	11	अनुश्री होम्योपैथी महाविद्यालय, जबलपुर	100
25.	12	सोफिया होम्योपैथी महाविद्यालय, ग्वालियर	100
26.	13	महात्मा गांधी होम्योपैथी महाविद्यालय, जबलपुर	100
27.	14	एस. एम. देव होम्योपैथी महाविद्यालय, बालाघाट	50
28.	15	सागर होम्योपैथी महाविद्यालय, सागर	50
29.	16	रामनाथ सिंह होम्योपैथी महाविद्यालय, भिण्ड	85
30.	17	अरिहन्त होम्योपैथी महाविद्यालय, सेंधवा	50
31.	18	वसुंधरा राजे होम्योपैथी महाविद्यालय, ग्वालियर	100

निजी होम्योपैथी सीट संख्या : 1585

होम्योपैथी पद्धति की कुल सीट संख्या : 1655

शासकीय यूनानी महाविद्यालय

32.	1	हकीम सैय्यद जियाउल हसन शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय, भोपाल	40
-----	---	---	----

शासकीय यूनानी सीट संख्या : 40

निजी यूनानी महाविद्यालय

33.	1	सेफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया महाविद्यालय, बुरहानपुर	50
34.	2	हकीम अब्दुल हमीद यूनानी महाविद्यालय, देवास	40
35.	3	अल फारूख यूनानी महाविद्यालय, इन्दौर	50

निजी यूनानी सीट संख्या : 140

यूनानी पद्धति की कुल सीट संख्या : 180

प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा महाविद्यालय

36.	1	संत हिरदाराम प्राकृतिक एवं योग महाविद्यालय, बैरागढ़, भोपाल	50
37.	2	प्रिया पीताम्बरा प्राकृतिक एवं योग महाविद्यालय, दतिया	50

निजी प्राकृतिक एवं योग सीट संख्या : 100

चारों पद्धति की कुल सीट संख्या : 2470

नोट.—

- नियम पुस्तिका में महाविद्यालय का नाम व प्रवेश हेतु स्वीकृत सीट संख्या का उल्लेख महाविद्यालय की मान्यता एवं उसी सीट्स पर प्रवेश उपलब्ध होने का द्योतक नहीं है.
- प्रदेश में संचालित शासकीय स्वशासी एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेद / होम्योपैथी / यूनानी / प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग महाविद्यालयों में प्रवेश की कार्यवाही केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद / केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद / भारत सरकार की मान्यता व राज्य शासन की अनुमति तथा तत्संबंधी आदेशों तथा क्षेत्रीय विश्वविद्यालय की सम्बद्धता पर निर्भर होगी.
- महाविद्यालयों के नाम की सूची व प्रवेश हेतु स्वीकृत सीट्स संख्या में परिवर्तन हो सकता है.

TABLE - 2
(Rule - 5)

AUTONOMOUS GOVT. AYUSH COLLEGES
Category and Class Wise Quota Distribution Chart

S. NO.	College name	UR					SC					ST					OBC					TOTAL																																																												
		X	F	S	FF	H	Total	X	F	S	FF	H	Total	X	F	S	FF	H	Total																																																															
1	GOVT. AYURVEDIC COLLEGES	3																				4																				5																				6																				7
1	BHOPAL	15	8	1	1	-	25	5	2	-	1	8	6	4	-	10	4	2	1	-	7	50																																																												
2	BURHANPUR	12	6	1	-	1	20	4	2	-	-	6	5	2	-	8	3	2	-	1	6	40																																																												
3	GWALIOR	14	2	1	-	1	23	5	2	-	-	7	5	3	-	9	4	1	-	1	6	45																																																												
4	INDORE	12	6	1	-	1	20	4	2	-	-	6	5	2	-	8	4	2	-	-	6	40																																																												
5	JABALPUR	12	6	-	1	1	20	4	2	-	-	6	5	2	-	8	4	2	-	-	6	40																																																												
6	REWA	12	6	-	1	-	20	3	2	1	-	6	5	2	1	-	8	4	2	-	6	40																																																												
7	UJJAIN	12	6	-	1	-	20	3	2	-	1	6	4	3	1	-	8	4	2	-	6	40																																																												
	TOTAL	91	45	4	4	4	148	28	14	1	1	45	35	18	2	2	59	27	13	1	43	295																																																												
1	Govt. Homoeo. Coll. Bhopal	22	10	1	1	1	35	7	3	-	-	10	10	4	-	14	8	3	-	-	11	70																																																												
	TOTAL	22	10	1	1	1	35	7	3	-	-	10	10	4	-	14	8	3	-	-	11	70																																																												
1	Govt. Unani Coll. Bhopal	11	6	1	1	1	20	4	2	-	-	6	6	2	-	8	4	2	-	-	6	40																																																												
	TOTAL	11	6	1	1	1	20	4	2	-	-	6	6	2	-	8	4	2	-	-	6	40																																																												

नोट:- सीटों की संख्या परिवर्तनशील है।

संकेत

X = बिना वर्ग
F = महिला
S = सैनिक
FF = स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
H = विकलांग

UR = अनारक्षित
SC = अनुसूचित जाति
ST = अनुसूचित जनजाति
OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग

TABLE - 4

A—शासकीय (स्वशासी) आयुष महाविद्यालयों की फीस :

क्र. (1)	फीस का मद (2)	आयुर्वेद (3)	यूनानी (4)	होम्योपैथी (5)	अन्य विवरण (6)
1.	शिक्षण शुल्क	25000.00	20000.00	20000.00	प्रतिवर्ष
2.	स्टूडेंट फण्ड (क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क).	1000.00	1000.00	1000.00	प्रतिवर्ष
3.	सुरक्षा निधि	7500.00	7500.00	7500.00	प्रवेश के समय एक बार
4.	शैक्षणिक यात्रा भ्रमण शुल्क	3000.00	3000.00	3000.00	प्रवेश के समय एक बार
5.	छात्रावास सुरक्षा निधि	5000.00	5000.00	5000.00	प्रवेश के समय एक बार
6.	छात्रावास निवास शुल्क	10000.00	10000.00	10000.00	प्रतिवर्ष
7.	प्रतिभूति निक्षेप	देखे नियम - 7.1			

B—निजी आयुष महाविद्यालयों की फीस :

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क निर्धारण अध्यादेश, 2007 के अन्तर्गत गठित प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस देय होगी, जिसे समिति की वेबसाइट www.afrcmp.org पर देखा जा सकता है.

प्रारूप-1

प्रमाण-पत्र, अभिलेखों की स्कूटनी काउंसिलिंग, आवंटन संबंधी प्रपत्र
(उम्मीदवार द्वारा भरा जावे)

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मैंने मध्यप्रदेश पाहुन्ट प्रवेश परीक्षा नियम भलीभांति पढ़कर समझ लिये हैं. तत्पश्चात् ही नियमों में दिये गये प्रावधानों के अधीन काउंसिलिंग, में भाग ले रहा/रही हूँ.

काउंसिलिंग, में भाग लेने के लिये आज दिनांक को निम्न जानकारी मूल प्रमाण-पत्र एवं मूल अभिलेख प्रस्तुत कर रहा / रही हूँ. यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है अथवा असत्य है अथवा अधूरी है, आवश्यकतानुसार नहीं है तो मुझे काउंसिलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए. किन्ही कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाए—

1. पाहुन्ट परीक्षा 2014 का रोल नं.
2. मेरिट प्रतीक्षा सूची क्रमांक
3. पाहुन्ट परीक्षा में प्राप्तांक
4. पूरा नाम
5. माता/पिता/अभिभावक का पूरा नाम
पता
टेली./मो. नं.
- 6.1 श्रेणी (अनारक्षित / अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)
- 6.2 संवर्ग (सैनिक/स्वतंत्रता सैनानी/विकलांग/महिला/ओपन)
7. मूल प्रमाण-पत्र अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके सामने सही (✓) का चिन्ह लगायें.
1. पाहुन्ट परीक्षा की मूल अंकसूची
2. अर्हकारी परीक्षा की मूल अंकसूची
3. आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाण-पत्र

Book No.	Disp. No.	Date	Place	Issuing Authority
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4. जन्मतिथि संबंधी कक्षा 10वीं की अंकसूची. DD MM YYYY
5. चरित्र प्रमाण-पत्र
6. यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो नोटरी द्वारा गैप सर्टिफिकेट
7. मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र

No.	Dt. of issue	Place	Issuing Authority
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

8. अंतिम संस्था में अध्ययनरत रहने का टी. सी.
9. वर्तमान आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में ()
10. संस्था प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण-पत्र, सूची सहित. (यदि लागू हो तो)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, दिनांक, पूरा नाम

स्कूटनी (सूक्ष्म जांच समिति द्वारा भरा जावे)

मेरे द्वारा समिति को उपलब्ध कराये मूल प्रमाण-पत्रों, अभिलेखों (1-10) की जांच की गई. प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति के 01 सेट रिकार्ड हेतु जमा करा लिये गये हैं. प्रमाण-पत्रों पर पाई गई कमियों को ऊपर उल्लेखित किया गया है.

सदस्य स्कूटनी समिति
(नाम एवं पदनाम हस्ताक्षर, दिनांक)

परीक्षणोपरांत उम्मीदवार काउंसिलिंग में भाग लेने के लिये पात्र है अथवा निम्न प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के कारण अथवा अन्य कारणों से काउंसिलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं हैं.

सदस्य स्कूटनी समिति
(नाम एवं पदनाम हस्ताक्षर, दिनांक)

प्रारूप-1-अ

शपथ-पत्र

मैं/आत्मज / आत्मजा श्री उम्र निवासी.
आज दिनांक को शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आनलाईन काउंसिलिंग में लिये गये निर्णय से मैं बचनबद्ध रहूंगा / रहूंगी.

आवंटित संस्था में प्रवेश समय सीमा में लेकर मैं नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों का पालन करूंगा/करूंगी.

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. गवाह के हस्ताक्षर | अभ्यर्थी के हस्ताक्षर |
| दिनांक | दिनांक |
| नाम: | नाम |
| पूरा पता | पूरा पता |
| 2. गवाह के हस्ताक्षर | टेलिफो./मोबाईल नं. |
| दिनांक | |
| नाम | |
| पूरा पता | |

प्रारूप-2

मिलेट्री पर्सनल संवर्ग (एम. पी.) हेतु प्रमाण-पत्र

भाग (अ)

भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) वर्ष के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी के पिता/माता हैं.

अ- थल सेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक हैं, सेवानिवृत्त/सेवामुक्ति के समय वे पद पर थे/थी, उनका सर्विस क्रमांक था.

अथवा

ब- उन्होंने थल सेना/वायुसेना/नौसेना में पद पर सर्विस क्रमांक के अधीन सेवा की है, सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गये हैं / सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष में हो चुकी है.

स्थान

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक

(कार्यालय सील)

नियम-5.2

प्रारूप-2
भाग (ब)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) वर्ष. के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी के पिता/माता हैं.

अ- थल सेना/वायुसेना/नौसेना में. के ओहदे पर सर्विस क्रमांक के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ हैं. वे इस इकाई में दिनांक से सेवारत है.

अथवा

ब- वे थल सेना/वायुसेना/नौसेना में. के ओहदे पर सर्विस क्रमांक के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ हैं.

स्थान

हस्ताक्षर: ऑफिसर कमांडिंग

दिनांक.

(कार्यालय सील)

नियम-5.2

प्रारूप-2 भाग (स)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थायी रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम) जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम) वर्ष. के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार हैं, वे (स्थान) तहसील जिला. में व्यवस्थापित हो गये हैं.

स्थान

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक.

(कार्यालय सील)

नियम-5.3

प्रारूप-3

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

- 1- यह प्रमाणित किया जाता है कि उम्मीदवार
 श्री (पिता) एवं श्रीमती (माता)
 के पुत्र/पुत्री है. श्री/श्रीमती. स्वतंत्रता संग्राम
 सेनानी श्री के / की वैद्य (Legitimate) पुत्र/पुत्री है.
- 2- श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम
 मध्यप्रदेश के जिला (जिला का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम
 सेनानी की पंजी (Register) में क्रमांक पर पंजीकृत है.

स्थान

हस्ताक्षर: कलेक्टर

दिनांक.

(कार्यालय की स्पष्ट मोहर)

.....

नियम-5.5

प्रारूप-4 भाग (अ)

स्थायी अनुसूचित/जनजाति अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग जिला मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक प्रमाण-पत्र क्रमांक प्रकरण क्रमांक

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/पति का नाम निवासी ग्राम नगर वि. ख. तहसील जिला संभाग अनुसूचित जनजाति/जाति का/की सदस्य है और इस अनुसूचित जनजाति/जाति को संविधान के अनुच्छेद 341/342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक पर अंकित है. अतः श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/पति का नाम अनुसूचित जनजाति/जाति का/की है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये है.

दिनांक

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम/सील

टिप्पणी.—(1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति.

(2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण-पत्र मान्य होंगे. (अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस. डी. ओ. (अनुविभागीय अधिकारी) उप संभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट (ब) तहसीलदार (स) नायब तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहद/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना.

नोट.—यह प्रमाण-पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गए प्रमाण-पत्र के आधार पर.

प्रारूप-4 भाग (ब)

म. प्र. की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप

स्थायी प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु. (परीक्षार्थी का नाम) आत्मज श्री निवासी/ग्राम. जिला/संभाग मध्यप्रदेश के निवासी हैं जो जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिमाम्य किया गया है.

श्री (पिता का नाम) क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93 स्था (एस. सी. टी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची के कॉलम-3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-16/2000/1/आप्र, दिनांक 6 जुलाई, 2003 की अनुसूची अनुक्रमांक-6 आय/सम्पति आंकलन भाग (क) संशोधित कॉलम (3) में किया गया है.

दिनांक

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम (सील)

नियम-6

प्रारूप-5

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति,

नायब तहसीलदार/ तहसीलदार
तहसील

जिला

विषय:—स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत्.

महोदय / महोदया,

मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है. मेरे द्वारा संपादित शपथ-पत्र संलग्न है. यह निवेदन है कि मुझे मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रदाय करने का कष्ट करें.

1. मेरा नाम :
2. पिता/ पति का नाम :
3. जन्मतिथि :
4. निवास का पूरा पता : मकान नं. मोहल्ला
- ग्राम / शहर का नाम
- तहसील जिला
- *5. मेरी पत्नी का विवरण : नाम आयु वर्ष
- *6. मेरे अवयस्क पुत्र/ पुत्रियों का विवरण : (1) नाम पुत्र/ पुत्री, आयु वर्ष
- : (2) नाम पुत्र/ पुत्री, आयु वर्ष
- : (3) नाम पुत्र/ पुत्री, आयु वर्ष

संलग्न : शपथ-पत्र

(मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान / जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदंड से दण्डनीय है).

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम (.....

* लागू न होने की स्थिति में काट दें / वर्णित न करें.

कार्यालय नायब तहसीलदार/ तहसीलदार, टप्पा/ तहसील

जिला

पावती

श्री / श्रीमती के द्वारा प्रस्तुत स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र का आवेदन आज दिनांक को प्राप्त हुआ.

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

मय सील

नियम-6

प्रारूप-6
स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र
शपथ-पत्र

फोटो
अभिप्रमाणित

मैं आत्मज/पति श्री
आयु (लगभग) वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि—

1. मैं वर्तमान में में निवासरत हूँ.

*2. मेरी पत्नी का नाम श्रीमती एवं उम्र (लगभग) वर्ष है.

*3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री—
(1) श्री/कु. आयु (लगभग) वर्ष
(2) श्री/कु. आयु (लगभग) वर्ष
(3) श्री/कु. आयु (लगभग) वर्ष

4. (यहां मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक सी-3/17/1/3/2011, दिनांक 20-12-2011 में वर्णित निर्देश के अन्तर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें).

*(1) मैं, मध्यप्रदेश के मकान नं. मोहल्ला ग्राम तहसील
जिला में वर्ष में पैदा हुआ/हुई हूँ. मैंने संस्था ग्राम/शहर
तहसील जिला में वर्ष से वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है.

(2) मैं मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला शहर तहसील जिला
में विगत 15 वर्ष से निवासरत हूँ.

(आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर निवासरत हो. यदि 15 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहा-कहां निवासरत रहें इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये).

(3) मैं मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से ग्राम/मोहल्ला शहर तहसील
जिला में निरन्तर निवासरत हूँ और मेरे नाम से ग्राम/शहर में सर्वे नं. रकबा भू-खण्ड/मकान है.
मैं उद्योग/व्यवसाय करता हूँ. मेरा टिन नम्बर/पेन नंबर. है.

(4) मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान के पद का नाम कार्यालय का नाम
विभाग का नाम के पद पर पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ.

(5) मैं मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित नामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग में पद
पर/से कार्यालय में/से सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ.

(कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए है उसका पूरा विवरण दें)

(6) मैं केन्द्र शासन के विभाग में के पद पर
कार्यालय तहसील जिला के पद पर वर्ष से पदस्थ होकर
कार्यरत हूँ.

(कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)

(7) मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष) अधिकारी हूँ. पद
पर कार्यालय/मंत्रालय में पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ.

(कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण, कार्यरत पद का नाम)

(8) मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक पद (पदनाम) पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा
नियुक्त हूँ.

(पूर्ण विवरण दिया जाए)

हस्ताक्षर
शपथग्रहीता

सत्यापन

मैं आत्मज/पति श्री आयु वर्ष
निवासी सत्यापन करता/करती हूँ कि शपथपत्र की कंडिका लगायत में उल्लेखित
जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है. इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है.

सत्यापन आज दिनांक को स्थान में किया गया.

हस्ताक्षर
शपथग्रहीता

*(जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख शपथ-पत्र में किया जाए)

नियम-6

प्रारूप-7
कार्यालय, नायब तहसीलदार/तहसीलदार

टप्पा, तहसील

जिला

प्र. क्र. वर्ष

दिनांक

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

यहां आवेदक का
पासपोर्ट साईज का
फोटो लगाया जाए
जो प्राधिकृत
अधिकारी द्वारा
सत्यापित किया जाए.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. पिता/पति निवासी तहसील जिला (मध्यप्रदेश), राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के लिए प्रभावशील ज्ञाप दिनांक में निर्धारित मापदण्ड की कंडिका क्रमांक. की पूर्ति करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं.

2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक दिनांक के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी/ अवयस्क बच्चे* जिनका विवरण नीचे वर्णित है, मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं—

- | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| (1) आवेदक की पत्नी का नाम | आयु | वर्ष है. |
| (2) आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री | (1) | आयु |
| | (2) | आयु |
| | (3) | आयु |
| | (4) | आयु |

टीप.— यह प्रमाण-पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा.

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

ह. तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसील

जिला

प्रारूप-8 (अ)
महाविद्यालय पुनराबंटन हेतु
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रधानाचार्य

.....
.....

(संबंधित महाविद्यालय का नाम)

विषय : पाठ्यक्रम में पुनराबंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र बावत.

मेरे द्वारा PAHUNT-2014 में उत्तीर्ण होकर प्रवर्ग संवर्ग मेरिट क्र. के आधार पर शासकीय काउन्सिलिंग में सीट आवंटित करवाकर आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत हूँ.

PAHUNT-2014 के नियमानुसार मैं आगामी काउन्सिलिंग में पाठ्यक्रम से पाठ्यक्रम के लिए पुनराबंटन चाहता/चाहती हूँ. अतः अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का कष्ट करें. मेरे मूल दस्तावेज आपके महाविद्यालय में जमा हैं. इस बावत भी पुष्टि करने का कष्ट करें.

हस्ताक्षर

नाम प्रार्थी

पिता/अभिभावक का नाम

PAHUNT-2014 रोल नं.

कार्यालय प्राचार्य

आयुक्त

आयुष

मध्यप्रदेश भोपाल.

दिनांक

श्री/कु आत्मज/आत्मजा श्री इस विद्यालय में PAHUNT-2014 की काउन्सिलिंग के आधार पर आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी/योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है. छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज इस महाविद्यालय में जमा हैं जो निम्नानुसार हैं:—

.....
.....
.....
.....

..... पाठ्यक्रम से पाठ्यक्रम में पुनराबंटन किये जाने पर इस महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है.

महाविद्यालय की सील
प्रधानाचार्य/प्राधिकृत अधिकारी
महाविद्यालय.

प्रारूप-8 (ब)
पाठ्यक्रम में पुनराबंटन हेतु
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रधानाचार्य

.....
.....

(संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय का नाम)

विषय : महाविद्यालय में पुनराबंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र बावत्.

मेरे द्वारा PAHUNT-2014 में उत्तीर्ण होकर श्रेणी..... संवर्ग..... मेरिट क्र. के आधार पर शासकीय काउन्सिलिंग में सीट आवंटित करवाकर आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत हूँ.

PAHUNT-2014 नियमानुसार मैं आगामी काउन्सिलिंग में महाविद्यालय के लिये पुनराबंटन चाहता/चाहती हूँ. अतः अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का कष्ट करें. मेरे मूल दस्तावेज आपके महाविद्यालय में जमा है. इस बावत भी पुष्टि करने का कष्ट करें.

हस्ताक्षर

नाम प्रार्थी

पिता/अभिभावक का नाम

कार्यालय प्राचार्य
(महाविद्यालय का नाम)

आयुक्त

आयुष

मध्यप्रदेश भोपाल.

दिनांक

श्री/कु..... आत्मज..... इस विद्यालय में पी.ए.एच.यू.टी. 2014 की काउन्सिलिंग के आधार पर इस संस्था में पाठ्यक्रम में अध्ययनरत है. छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज इस महाविद्यालय में जमा हैं जो निम्नानुसार हैं:—

पुनराबंटन किये जाने पर इस महाविद्यालय में कोई आपत्ति नहीं है.

महाविद्यालय की सील
प्रिन्सिपल/प्राधिकृत अधिकारी
महाविद्यालय

प्रारूप-9-अ
आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र

प्रति,

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

.....
.....

विषय : आय प्रमाण-पत्र जारी करने बावत्.

महदोय/महोदया,

मुझे आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है. मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है:—

1. मेरा नाम
2. पिता/पति का नाम
3. निवास का पूरा पता

4. संलग्न शपथ-पत्र अनुसार समस्त स्रोतों से मेरी/मेरे परिवार की वार्षिक आय
(मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डनीय है).

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम (.)

(*परिवार से आशय पति/पत्नि एवं अवयस्क बच्चे हैं.)

कार्यालय, तहसीलदार/नायब तहसीलदार टप्पा/तहसील

जिला:

पावती

श्री/श्रीमती के आय प्रमाण हेतु आवेदन आज दिनांक को प्राप्त हुआ.

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
मय सील.

प्रारूप-9-ब
कार्यालय, तहसीलदार/नायब तहसीलदार

टप्पा/तहसील:

प्र. क्र. /बी-121/वर्ष

जिला

दिनांक

आय प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कु. पिता/पति
निवासी: तहसील जिला मध्यप्रदेश की/के
परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय रुपये (शब्दों में) है.

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसील जिला
सील.

एम.डी./एम.एस. (आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी)
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियम
भोपाल, दिनांक 30 अप्रैल 2014

क्र. एफ-1-4-2014-1-उनसठ.—राज्य सरकार एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य में आयुष महाविद्यालयों में एम.डी./एम.एस. (आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “मध्यप्रदेश आयुष चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा नियम,” है.

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “मण्डल” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल,
- (ख) “महाविद्यालय” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार के अधीन शासकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुष (आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी) महाविद्यालय,
- (ग) “परीक्षा” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा,
- (घ) “सेवारत अभ्यर्थी” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जो मध्यप्रदेश शासन के अधीन नियमित या संविदा के आधार पर सेवा कर रहे हों,
- (च) “अन्य पिछड़ा वर्ग” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अन्य पिछड़े वर्ग,
- (छ) “ग्रामीण क्षेत्र” से अभिप्रेत है, नगर निगम क्षेत्र तथा नगरपालिका परिषद् क्षेत्र से भिन्न कोई क्षेत्र,
- (ज) “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जातियां,
- (झ) “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तथा अधिकथित अनुसूचित जनजातियां,
- (ञ) “चयनित अभ्यर्थी” से अभिप्रेत है, ऐसे अभ्यर्थी जिनको सीट आवंटन कर आवंटन पत्र जारी कर दिया गया है,
- (ट) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश की सरकार,
- (ठ) “जनजाति क्षेत्र” से अभिप्रेत है, जनजाति उपयोजना के अधीन क्षेत्र,
- (ड) “सी.सी.आई.एम.” से अभिप्रेत है, सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ इण्डियन मेडिसिन.
- (ढ) “सी.सी.एच.” से अभिप्राय है, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्.

3. **सामान्य.**—1. स्नातकोत्तर उपाधि एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम, यथास्थिति सी.सी.आई.एम./सी.सी. एच./विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/भारत सरकार/महाविद्यालय की स्वशासी संस्था की यथास्थिति प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा समय-समय पर यथा संशोधित प्रवृत्त नियमों तथा विनियमों में किये गए संशोधनों द्वारा शासित तथा विनियमित होंगे.

(2) प्रवेश की तारीख से उपाधि की दशा में तीन वर्ष की कालावधि के लिए स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम एवं पत्रोपाधि की दशा में स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम दो वर्ष की कालावधि के लिये पूर्णकालिक होंगे. छात्र को संपूर्ण अध्ययनकाल में निजी प्रेक्टिस, अंशकालिक नौकरी या कोई अन्य नौकरी करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी.

(3) जब भी अपेक्षित हो सही जानकारी दी जानी तथा प्रस्तुत की जानी चाहिए. आवेदन फार्म भरने से पूर्व अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे नियमों को पूर्ण रूप से पढ़ लें एवं समझ लें और अपेक्षित की गई संपूर्ण तथा सही जानकारी भरें तथा अपेक्षित दस्तावेज

संलग्न करें, जिसके अभाव में प्रार्थी को प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(4) यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के स्थान (सीट) आवंटन के समय दस्तावेजों की छानबीन के समय तथा उसके प्रवेश के समय आवेदन प्रारूप में कोई सुसंगत तथ्य छिपाए गये हैं और/या गलत जानकारी दी गई है तो उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय उसका प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा रद्द कर दिया जावेगा।

(5) सेवारत अभ्यर्थी, जो मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत विभाग द्वारा अनुशंसित किए गए हों, परीक्षा तथा काउंसिलिंग में उपस्थित होने के लिए कर्तव्य पर माने जाएंगे तथा पैतृक विभाग से नियमानुसार यात्रा भत्ते तथा मंहगाई भत्ते का दावा करने के हकदार होंगे।

(6) प्रत्येक अभ्यर्थी को मण्डल (व्यापम) के प्रवेश नियमों का पालन करना होगा एवं उसे विहित की गई परीक्षा फीस जमा करनी होगी।

4. (1) छात्र निम्नलिखित के लिये हकदार होंगे (इसमें सेवारत उम्मीदवार भी सम्मिलित हैं):—

(क) एक साप्ताहिक अवकाश (असंचयी)

(ख) प्रति शैक्षणिक सत्र में 19 दिवस के आकस्मिक अवकाश,

(ग) प्राचार्य की पूर्व अनुमति से, संपूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान छात्रवृत्ति के बिना 90 दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी। चिकित्सा प्रमाण-पत्र अवकाश पर जाने के दस दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

(2) छात्रवृत्ति के बिना प्रतिवर्ष 10 दिवस का चिकित्सा अवकाश/बीमारी का प्रमाण-पत्र अवकाश पर जाने के पश्चात् 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

5. दुराचरण, अनुशासनहीनता तथा अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने वाले छात्र, अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसमें प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना सम्मिलित है।

6. परीक्षा, मण्डल द्वारा नियत किए गए केन्द्र पर होगी। एक बार आवंटित हो जाने पर केन्द्र परिवर्तित नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी, मण्डल के नियमों तथा विनियमों का पालन करेगा, जिसका पालन न करने पर उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जावेगी।

7. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद (सी.सी.आई.एम./सी.सी.एच.) नई दिल्ली से मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों की सीट्स पर पाठ्यक्रमवार एवं महाविद्यालयवार प्रवेश दिया जावेगा। परीक्षा/काउंसिलिंग के समय जिन संस्थाओं को भारत सरकार आयुष विभाग की प्रवेश अनुमति प्राप्त होगी उन सभी में प्रवेश की कार्यवाही ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी।

8. **आरक्षण.**—मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये 20 प्रतिशत स्थान, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 16 प्रतिशत स्थान एवं मध्यप्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों के लिये जो क्रोमिलेयर से भिन्न हैं। 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे या समय-समय पर यथासंशोधित अनुसार आरक्षित रहेंगे।

(1) महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण प्रत्येक प्रवर्ग में योग्यता (मेरिट)-सह-विकल्प के अनुसार 30 प्रतिशत होगा।

(2) ऐसे अभ्यर्थी को जो मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का है, आवेदन के साथ मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी तथा मूल स्थायी जाति प्रमाण-पत्र परामर्श (काउंसिलिंग) के समय प्रस्तुत करना होगा।

(3) ऐसे विकलांग व्यक्ति जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित प्रवर्ग के हैं, के लिए छह प्रतिशत स्थान (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षित हैं। पहले 50 प्रतिशत

से 70 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से यह स्थान भरे जावेंगे।

उपरोक्त आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त स्थान (सीटें) संबंधित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से यह स्थान भरे जावेंगे।

“ इन स्थानों (सीट) पर प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में जिला मेडिकल बोर्ड से वैध प्रमाण-पत्र और अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांग व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से पात्रता प्रमाण-पत्र दोनों ही अनिवार्यतः, प्रस्तुत करना होगा। विषयवार सीटों की जानकारी यथासमय प्रदर्शित की जावेगी। काउंसिलिंग के समय दोनों प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। विकलांगता के संबंध में बनाए गए दिशा-निर्देश के अनुसार निम्नलिखित विकलांगों को विकलांग श्रेणी में पात्रता नहीं होगी।”

- (1) हाथ/हाथों से विकलांग
- (2) दृष्टि से विकलांग
- (3) बहरापन
- (4) 70 प्रतिशत से अधिक पैरों की विकलांगता।

9. **फीस संरचना.**—प्रत्येक अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित (शासकीय स्वशासी संस्था हेतु) तथा प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के द्वारा निर्धारित (निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों हेतु) शुल्क देय होगा।

10. **फीस वापसी.**—पी. जी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों द्वारा अंतिम काउंसिलिंग के सात दिवस पूर्व सीट छोड़ने संबंधी सूचना लिखित में संस्था में प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा फीस से 10 प्रतिशत काटकर शेष राशि लौटाई जावेगी। उक्त समय-सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा जमा राशि वापसी योग्य नहीं होगी। यह प्रक्रिया राज्य एवं राज्य के बाहर प्रवेश लेने वाले छात्रों पर समान रूप से लागू होगी।

11. **प्रतिभूति निक्षेप.**—(1) परामर्श (काउंसिलिंग) के दौरान शासकीय महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम के लिए स्थान आवंटित होने पर अभ्यर्थी को रुपये 10,000/- प्रतिभूति निक्षेप के रूप में आयुक्त, आयुष, मध्यप्रदेश भोपाल को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा, परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/संरक्षक की आय समस्त स्रोतों को मिलाकर रुपये 3.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है, कोई प्रतिभूति निक्षेप नहीं करेंगे। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के ऐसे अन्य अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/संरक्षक की आय समस्त स्रोतों को मिलाकर रुपये 3.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक है, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी अभ्यर्थी केवल रुपये 2,000/- प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करेंगे।

(2) पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् प्रतिभूति निक्षेप की राशि बिना ब्याज के वापसी योग्य होगी। उस दशा में जब कोई अभ्यर्थी आवंटित पाठ्यक्रम, विषय एवं संस्था में प्रवेश नहीं लेता है या किसी भी कारण से पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व पाठ्यक्रम में अध्ययन बंद कर दे और महाविद्यालय छोड़ दे तो प्रतिभूति निक्षेप पर उसका दावा समपहत हो जाएगा।

12. **पात्रता.**—(1) “शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिये। निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के व्यक्ति प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।”

1.1 अभ्यर्थी द्वारा बी.ए.एम.एस. की समस्त परीक्षाएं मध्यप्रदेश के आयुर्वेद महाविद्यालयों से उत्तीर्ण होना चाहिये।

1.2 अभ्यर्थी जो मूल रूप से मध्यप्रदेश के निवासी हैं परन्तु उन्होंने बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम मध्यप्रदेश के बाहर से जो कि सी.सी.आई.एम. या सी.सी.एच. नई दिल्ली से मान्यताप्राप्त हो, से उत्तीर्ण की हो।

2. सभी पी. जी. प्रवेशित छात्रों को मध्यप्रदेश राज्य में प्रैक्टिस करने के लिये मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड/होम्योपैथी चिकित्सा बोर्ड, भोपाल से पंजीकृत होना चाहिये।

- 2.1 पी. जी. सीट आवंटन होने के पश्चात् आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के एक माह के भीतर मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड/होम्योपैथी चिकित्सा बोर्ड, भोपाल में पंजीकृत चिकित्सक होने हेतु आवेदन तथा संबंधित फीस जमा करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.
- 2.2 पात्र अभ्यर्थी ने सी.सी.आई.एम./सी.सी.एच. द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में विज्ञापन में अंकित आवेदन की अंतिम तिथि तक अनिवार्य इंटरनेशिप पूर्ण कर ली हो.

13. **परीक्षा .—**(1) स्नातकोत्तर प्रवेश हेतु मण्डल द्वारा एक सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित की जावेगी.

(2) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्/सी.सी.एच. द्वारा जारी नियमावली अनुसार किसी भी अभ्यर्थी का चयन पूर्णतः लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित 100 अंकों की मेरिट इण्डेक्स में प्राप्त अंतिम वरीयता सूचकांक के आधार पर किया जावेगा. प्रवेश परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों की 100 अंकों की एक सामान्य लिखित परीक्षा होगी.

(3) एम. डी./एम. एस. (आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी) की प्रवेश परीक्षाएं अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम से आयोजित की जाएंगी.

(4) एक प्रश्नपत्र दो घंटे का होगा. प्रश्नपत्र में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे.

(5) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के लिये एक अंक प्रत्येक सही उत्तर के लिये दिया जावेगा. गलत उत्तर या एक से अधिक उत्तर या अनुत्तरित प्रश्न के लिये कोई अंक नहीं दिया जायेगा.

(6) परीक्षा बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.यू.एम.एस. परीक्षा के स्तर की होगी तथा पाठ्यक्रम के सभी विषयों को सम्मिलित किया जाएगा.

(7) प्रवेश की योग्यता हेतु अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत "कुल अंतिम प्राप्तांक" एवं आरक्षित श्रेणी के लिये 40 प्रतिशत न्यूनतम "कुल अंतिम प्राप्तांक" प्राप्त करना अनिवार्य है. प्रवेशित विषय का परिवर्तन प्रवेश तिथि से दो माह तक इस शर्त पर स्वीकार्य होगा कि वांछित विषय में सीट एवं मार्गदर्शक (गाइड) की उपलब्धता हो.

14. **परीक्षाफल की घोषणा.—**मण्डल, परीक्षा संचालित करेगा, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करेगा, योग्यता सूची तैयार करेगा तथा परीक्षाफल घोषित करेगा. विषय/पाठ्यक्रम/महाविद्यालय में पात्र अभ्यर्थी को स्थान का आवंटन ऑनलाईन काउंसिलिंग के आधार पर किया जाएगा.

15. **योग्यता सूची.—**(1) अनारक्षित श्रेणी की एक योग्यता (मेरिट) सूची घोषित की जावेगी, जिसमें सभी सफल अभ्यर्थी शामिल किए जावेंगे, जिन्होंने कुल अंतिम प्राप्तांक (टोटल इंडेक्स) में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं.

(2) आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के उन सभी अभ्यर्थियों की पृथक्-पृथक् मेरिट सूची जारी की जावेगी, जिन्होंने अंतिम प्राप्तांक (टोटल इंडेक्स) में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं.

(3) सभी अभ्यर्थियों की श्रेणीवार सूचियों में विकलांग अभ्यर्थी अपनी मेरिट के अनुसार सम्मिलित किए जाएंगे.

(4) विकलांग अभ्यर्थियों की श्रेणीवार मेरिट सूचियां भी तैयार की जाएंगी.

(5) सूचियों में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी.

16.1. **पारस्परिक योग्यता (मेरिट).—**उस दशा में जब दो या अधिक अभ्यर्थी "अंतिम प्राप्तांक" (टोटल इंडेक्स) में बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो योग्यता नीचे दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार विनिश्चित की जाएगी:—

- (क) अभ्यर्थी, जिसने लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, योग्यता सूची में ऊपर रखा जाएगा.
- (ख) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा बराबर अंक प्राप्त करने पर भी आयु में बड़े अभ्यर्थी को पारस्परिक योग्यता (मेरिट) में उच्च स्थान पर रखा जाएगा.
17. **काउंसिलिंग-सीट आवंटन**
- 17.1 योग्य अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में सीट आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी. आनलाईन काउंसिलिंग के लिये विस्तृत निर्देश पृथक् से जारी किये जावेंगे.
- 17.2 सभी अंकसूचियों, प्रमाण-पत्रों एवं सभी संबंधित दस्तावेजों में अभ्यर्थी तथा पिता का नाम एक सा लिखा होना चाहिये. यदि किसी भी दस्तावेज में कही कोई अंतर हो तो ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु सत्यापन के पूर्व उसे दुरुस्त करालें अन्यथा निरस्ती होने पर इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा.
- 17.3. **रजिस्ट्रेशन .—**रजिस्ट्रेशन की तिथि निर्धारित कर समाचार पत्रों एवं MP Online के पोर्टल पर दी जावेगी. रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदक को MP Online के पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसका निर्धारित शुल्क रुपये 150/- (एक सौ पचास रुपये मात्र) देय होगा. जिसकी रसीद दी जावेगी. (रजिस्ट्रेशन Kiosk के माध्यम से कराने पर प्रिंट आउट का शुल्क पृथक् से देय नहीं होगा.) आवेदक को अपनी जानकारी सही-सही दर्ज करानी होगी. रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात् प्रत्येक आवेदक को रजि. नं. एवं एक अस्थाई गुप्त पासवर्ड प्रदाय किया जावेगा, जिसे आवेदक को च्वाइस फिलिंग के समय बदलना अनिवार्य होगा.
- 17.4. **अभिलेख सत्यापन.**—आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय दिये गये विवरण अनुसार अपने मूल दस्तावेज सत्यापन कराने हेतु निम्नांकित केन्द्रों में से किसी भी एक संस्था (हेल्प सेण्टर) पर जाकर सत्यापन (प्रारूप-1 पर) कराना होगा—
1. शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, भोपाल
 2. शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर
 3. शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, इंदौर
 4. शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, जबलपुर
 5. शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, रीवा
 6. शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय, उज्जैन
 7. शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय, भोपाल (मात्र एम.डी. होम्योपैथी हेतु)
 8. शासकीय (स्वशासी) यूनानी महाविद्यालय, भोपाल (मात्र एम.डी. यूनानी हेतु)
- 17.5. रजिस्ट्रेशन के समय जानकारी देते समय व्यापम में आवेदन करते समय दी गई जानकारी को छोड़कर अन्य कोई त्रुटि हो गई हो तो अथवा कमी रह गई हो तो उसे सत्यापन केन्द्र पर सही कराया जा सकता है.
- 17.6 **अभिलेख सत्यापन.**—अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को सत्यापन केन्द्र पर कोई शुल्क जमा नहीं कराना होगा. सत्यापन निःशुल्क होगा.
- 17.7 **संस्था का चयन**—आवेदक को अपनी प्राथमिकता के अनुसार पाठ्यक्रमों/संस्थाओं का क्रमानुसार चयन का विकल्प MP Online के पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर करना होगा. जिसका निर्धारित शुल्क 250/- रुपये (दो सौ पचास रुपये मात्र) MP Online के पोर्टल अथवा Kiosk को देय होगा (च्वाइस फिलिंग Kiosk के माध्यम से करने पर प्रिंट

आउट चार्ज पृथक् से देय नहीं होगा.) इस राशि की रसीद दी जावेगी. जिसमें आवेदक द्वारा चयनित संस्थाओं की सूची दर्शित होगी. प्रथम बार के अतिरिक्त बाद में किये जाने वाले च्वाइस फिलिंग के लिये केवल 100/- रुपये शुल्क देना होगा.

17.8 **अलाटमेंट.**—आवेदक अलाटमेंट की निर्धारित तिथि पर MP Online पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर प्री-पी.जी. परीक्षा का रोल नं. जन्मतिथि एवं च्वाइस फिलिंग के समय परिवर्तित किया गया पासवर्ड डालकर अलाटमेंट लेटर प्राप्त कर सकता है.

17.9 **रिपोर्टिंग.**—आवेदक को महाविद्यालय अलाट होने के बाद आवंटित महाविद्यालय जाकर रिपोर्टिंग देनी होगी एवं अपना पाहुंट रोल नं. एवं पासवर्ड इंटर कर महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराना होगा.

18. **प्रवेश.**—अभ्यर्थी ऑनलाईन काउंसिलिंग के द्वारा पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय आवंटन के पश्चात्, अधिसूचित दिनांक एवं समय पर संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को अपनी उपस्थिति की सूचना देगा.

18.1 महाविद्यालय की प्रवेश समिति में दो वरिष्ठ शिक्षक तथा कम से कम दो आरक्षित प्रवर्ग के शिक्षक रहेंगे. यह समिति मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेगी तथा यदि पात्र पाया जाए तो उम्मीदवार को पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुशंसा प्रधानाचार्य को करेगी.

18.2 पाठ्यक्रम में प्रवेश के उपरान्त उम्मीदवार के मूल अभिलेख जारीकर्ता अधिकारी से सत्यापन पश्चात् वापस किये जायेंगे.

18.3 यदि कोई अभ्यर्थी उपस्थित होने की संसूचित दिनांक तक उपस्थित नहीं होता है अथवा उपस्थित होकर छोड़ देता है अथवा संस्था प्रमुख को पूर्व सूचित किये बिना लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है, तो उसका दावा समाप्त हो जावेगा तथा उसका आवंटन/प्रवेश निरस्त हुआ समझा जावेगा.

18.4 अभ्यर्थियों को अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी एवं उनको तभी प्रवेश दिया जायेगा जब वे चिकित्सकीय दृष्टि से फिट होंगे.

19. अकादमिक सत्र प्रारंभ होने की अंतिम तिथि 1 नवम्बर से बाद नहीं होगी. किसी भी कारण से होने वाली रिक्तियों पर प्रवेश होम्योपैथी महाविद्यालयों में 31 अक्टूबर (CCH निर्देशानुसार) व आयुर्वेद, यूनानी, महाविद्यालयों में वर्ष के 31 अक्टूबर (CCIM निर्देशानुसार) तक ही दिया जा सकेगा.

19.1 **प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम :-**

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | प्रथम काउंसिलिंग की तिथि | - परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद तिथि घोषित की जायेगी. |
| 2. | सत्रारंभ तिथि | - बाद में घोषित की जायेगी (जो एक नवम्बर के बाद नहीं होगी) |
| 3. | द्वितीय/तृतीय काउंसिलिंग | - सीट रिक्त रहने की स्थिति में घोषित की जायेगी. |
| 4. | किसी भी कारण से हुई रिक्तियों पर प्रवेश दिये जाने की अंतिम तिथि | - होम्योपैथी महाविद्यालयों में-31 अक्टूबर
- आयुर्वेद, यूनानी, महाविद्यालयों में -31 अक्टूबर |

टिप्पणी.—

- नियम 12 में दर्शाये कार्यक्रम के अनुसार आनलाईन काउंसिलिंग का विस्तृत कार्यक्रम राज्य एवं राज्य के बाहर के मुख्य समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा. यदि कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे भी प्रदेश एवं बाहर के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा. साथ ही संचालनालय आयुष, म. प्र. की बेबसाईट www.mp.gov.in/ Ayush पर भी सूचित किया जावेगा.

2. यदि ऐसे किसी विद्यार्थी की पहचान होती है, जिसका प्रवेश अंतिम तिथि के पश्चात् हुआ हो तो ऐसे विद्यार्थी को उक्त पाठ्यक्रम से निकाल दिया जावेगा एवं/अथवा यदि उसे कोई भी आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, शैक्षणिक योग्यता दी जा चुकी है तो यथास्थिति भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उक्त योग्यता को मान्यता प्रदान नहीं की जावेगी.
- 19.2 प्रदेश के शासकीय या निजी आयुष महाविद्यालयों में भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा यदि कोई सीट वृद्धि की अनुमति काउंसिलिंग के पूर्व प्राप्त हो जाती है अथवा किसी महाविद्यालय को मान्यता/प्रवेश अनुमति प्राप्त होती है तो उनमें काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश दिया जा सकेगा.

20. **नियमों का स्पष्टीकरण.**—किसी नियम तथा प्रवेश के लिए किसी प्रक्रिया को संशोधित करने को अधिकार राज्य सरकार अपने पास आरक्षित रखती है. इन नियमों के निर्वचन तथा उनके संशोधनों से संबंधित किसी विवाद की दशा में, राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा तथा सभी संबंधितों पर आबद्धकर होगा.

21. **निरसन तथा ब्यावृत्ति.**—इन नियमों के प्रचलित होने के पूर्व तत्स्थानी समस्त नियम एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं. परन्तु इस प्रकार निरसित किए गए नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशि खत्री, उपसचिव.